राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1227/2023

राकेश कुमार विजय **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.04.2023
आदेश की दिनांक : 01.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.04.2021 अनुलग्नक–1 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे की अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को 15 दिवस के अन्दर नियम 1958 के नियम 13(5) के तहत निस्तारित किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता(वर्तमान निलंबनाधीन) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगली मेघा, रामगढ जिला अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश दिनांक 09.04.2021 अनुलग्नक–1 के द्वारा अपीलार्थी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बित किया गया है उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठता अध्यापक वर्ष 2005 में हुई थी और उसे स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी को एफआईआर संख्या 177/2021 दिनांक 24.03.2021 को दर्ज होने कारण श्री अश्वनी कुमार शर्मा एवं दीपक कुमार के विरूद्व अतिरिक्त वेतन आहरण के कारण निलम्बित किया गया। उक्त कार्मिक ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एसबीसिविल रीट याचिका संख्या 4107/2022 श्री अश्वनी कुमार शर्मा बनाम राज्य प्रस्तुत की। जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने दनिांक 23.03.2022 को आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिया है कि प्रार्थी विभाग के समक्ष अभ्यावदेन प्रस्तुत करे एवं प्रत्यर्थी विभाग उसका निस्तारण करे। माननीय न्यायालय ने श्री अश्वनी कुमार शर्मा वाले मामले में एसबीसी डब्ल्यू

पी संख्या 988/2023 में अंतरिम आदेश दिनांक 27.01.2023 को पारित करते हुए निलम्बन आदेश को स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी का अभी मामला उक्त मामले के समान है। अपीलार्थी के निलम्बन आदेश को भी स्थगित किया जावे। उनका यह भी तर्क है कि नियम 13(5) के अन्तर्गत प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 09.04.2021 को चार्जशीट जारी की जिसका जवाब अपीलार्थी ने दिनांक 27.05.2021 को प्रस्तुत किया। जिसमें आज भी जॉच लम्बित है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अधिकरण का ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसिविल रीट याचिका संख्या 13299/2015 में रामबाबू गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य बनाम अशोक कुमार अग्रवाल (2013)16 एससीसी 147 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे आदेशों को उचित नहीं माना गया है। अपीलार्थी ने आलोच आदेश दिनांक 09.04.2021 एवं उसके अभ्यावेदन पर विचार किये जाने पर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.04.2021 अनुलग्नक–1 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे की अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को 15 दिवस के अन्दर नियम 1958 के नियम 13(5) के तहत निस्तारित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अलवर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नंगली मेघा रामगढ के वेतन बिलों में छेडछाड करके लगभग 15 लाख के गबन का प्रकरण प्रत्यर्थीगण के संघान में आया था जिसमें अपीलार्थी के द्वारा बिल प्रभारी के रूप में बिल संबंधत दस्तावेज भलीभॉति संधारित नहीं किये जाने के कारण मुख्य अरोपी श्री दीपक कुमार शर्मा का अनाधिकृत रूप से डीएससी(डोगल) के मैनेजर आईडी पासवर्ड का दुरूपयोग कर कूट रचित बिल बनाने का अवसर प्राप्त हुआ एवं उक्त कारण से ही 15 लाख के गबन की गठना गठित हुई। उक्त प्रकरण की विस्तृत जॉच मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ अलवर के द्वारा की जाकर अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी पाया जाकर उसके विरूद्व विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव दिनांक 01.04.2021 के द्वारा निदेशक बीकानेर को प्रस्तुत किये और उचित कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 09.04.2021 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए निलम्बित किया गया और उक्त नियमों के नियम 16 के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र भी जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी

को पदीय कर्तव्य निर्वाहन में लापरवाही व वित्तीय अनियमितता के आरोपों से आरोपित किया गया और नियम 1971 के नियम 3(I), (3)(ii), 3(2)3(i) का उल्लंघन करने के आरोप से ही आरोपित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी अरोपी होने के कारण उसे आलोच्य आदेश के द्वारा निलम्बित किया गया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता(वर्तमान निलंबनाधीन) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नंगली मेघा, रामगढ जिला अलवर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 09.04.2021 के द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बित किया गया। चूँकि अपीलार्थी एवं अन्य सहकर्मी द्वारा वेतन बिल प्रभारी के रूप में बिल संबंधित दस्तावेज भलीभॉति संधारित नहीं किये जाने के कारण मुख्य अरोपी श्री दीपक कुमार शर्मा का अनाधिकृत रूप से डीएससी(डोगल) के मैनेजर आईडी पासवर्ड का दुरूपयोग कर कूट रचित बिल बनाकर 15 लाख रूपये के गबन की घटना घटित हुई। जिसमें उक्त प्रकरण की विस्तृत जॉच सक्षम स्तर द्वारा की जाकर अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी पाया जाकर उसके विरूद्व विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव दिनांक 01.04.2021 के द्वारा निदेशक बीकानेर को प्रस्तुत किये और उचित कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 09.04.2021 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए निलम्बित किया गया और उक्त नियमों के नियम 16 के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र भी जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी को पदीय कर्तव्य निर्वाहन में लापरवाही व वित्तीय अनियमितता के आरोपों से आरोपित किया गया और नियम 1971 के नियम 3(I), (3)(ii), 3(2)3(i) का उल्लंघन करने के आरोप से ही आरोपित किया गया। इस प्रकार हम अपीलार्थी के अपील में कोई बल नहीं पाते तथा उक्त प्रत्यर्थी विभाग के तर्को से हम सहमत है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपरेक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य